सं.12019/03/2016-रा.भा.(का.2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

बी विंग, चौथा तल,

एनडीसीसी-2 भवन, जयसिंह रोड,

नई दिल्ली-110001 दिनांक-18 जुलाई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के कार्मिकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण हिंदी में दिया जाना ।

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा हिंदी के प्रयोग संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है । केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा इस वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति किया जाना अपेक्षित है ।

2. सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अन्य के साथ-साथ यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में सभी कार्मिकों को हिंदी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए । वर्तमान में यह देखा जाता है कि हिंदी प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता के बावजूद कार्मिकों को प्रशिक्षण अंग्रेजी में दिया जा रहा है जिसके कारण वे सरकारी काम-काज हिंदी में नहीं कर पाते हैं । कर्मचारियों तथा अधिकारियों को आरंभिक प्रशिक्षण व सेवाकालीन प्रशिक्षण हिंदी में दिए जाने से वे मूल रूप से हिन्दी में काम करने में सक्षम हो सकेंगे ।

3. केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से हिंदी माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 'क' क्षेत्र में 70%, 'ख' क्षेत्र में 60% और 'ग' क्षेत्र में 30% निर्धारित किया गया है ।

4. केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण केंद्रों से कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित तिमाही रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप में राजभाषा विभाग को तिमाही समाप्त होने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन भेजी जाए । यह प्रारूप विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध कराया जा रहा है ।

<table>
<tr><td colspan="5">1. प्रशिक्षण केंद्र का नाम ....2. राज्य ....
3. नियंत्रक मंत्रालय/कार्यालय.............................</td></tr>
<tr><td rowspan="2">प्रशिक्षण की कुल अवधि (सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल अवधि)</td><td colspan="3">(प्रशिक्षण की अवधि घंटों में)</td><td>लक्ष्य: 'क' क्षेत्र 70%
'ख' क्षेत्र 60%
'ग' क्षेत्र 30%.</td></tr>
<tr><td>हिंदी में दिए गए प्रशिक्षण</td><td>अंग्रेजी में दिए गए प्रशिक्षण</td><td>मिली जुली भाषा में दिए गए प्रशिक्षण</td><td>हिन्दी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रतिशतता (लक्ष्य के आधार पर)</td></tr>
<tr><td>क</td><td>ख</td><td>ग</td><td>घ</td><td>ङ
(ङ = ख÷क x 100)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

5. सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, उपक्रमों, बोर्डों, संस्थानों आदि के मुख्यालयों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के लिए अपने अधीनस्थ प्रशिक्षण केन्द्रों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें ।

19/7/2016
(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक (का.)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग कृपया अपने सभी अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वित्तीय संस्था/केंद्र सरकार की बीमा कंपनियों आदि की प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रेषित करें ।
2. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
4. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(NIC), राजभाषा विभाग कृपया इस का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं ।

19/7/2016
(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक(कार्यान्वयन)